"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 फरवरी 2013— माघ 24, शक 1934

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, (केपिटल काम्प्लेक्स), नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2013

आदेश

[कृपया नियम 42 (1)(अ) देखें]

क्रमांक 1135/डी-433/21-ब/छ. ग./2013.— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के उप नियम (1) के खण्ड-क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री टी. के. चक्रवर्ती, के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की अनुशंसा पर, श्री टी. के. चक्रवर्ती को रजिस्ट्रार (निरीक्षण एवं जांच), उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य, के पद से दिनांक 20-02-2013 से सेवानिवृत्त (स्वैच्छिक) करता है.

Raipur, the 8th February 2013

ORDER

No. 1135/D-433/XXI-B/C. G./2013.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub rule (1) of Rule 42 of the Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976 and on the application for voluntary retirement of Shri T. K. Chakravarti, Member of Higher Judicial Service and on the recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, State Government of Chhattisgarh, hereby retires (Voluntarily) Shri T. K. Chakravarti, from the post of Registrar (Inspection & Enquiry) Member of Higher Judicial Service w. e. f. 20-02-2013.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.